

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक— 2836 FP/UK/ROAD/9428/2015 :देहरादून:दिनांक: 17 मार्च, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:— जनपद—अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1863 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8बी/यू.सी.पी./06/70/2014/एफ.सी./2488 दिनांक 26-02-2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संशोधित वनाधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की पत्र संख्या 577/3सी (व0भू0) दिनांक 14-03-2016 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक एवं बैठक के बाद FORM-1 संशोधित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated. 14.03.16.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **6.1863** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) **for Construction Almora Ghat From K.M 50 To village kalauta (Under Aatul Adersh Yojan) Motor Road (13.30 km.) Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Kalauta,Thali , Kutoli , Nanoli, Kaneda, Khoudi, Ritha koat, Phadhu Village (s) in Bhanoli tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **6.1863** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

Bwan
बिद्या समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

SB
14/03/16
Sabin Bansal
District Collector, Almora

